संख्या-26/2019/36-भा0स0/12-5-2019-सा0-01/2019

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 08 अप्रैल, 2019**

विषयः-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के लाभार्थियों के डाटा को संरक्षित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-1-1/2019-एफडब्ल्यूएस, दिनांक 20.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों के साथ लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण/डाटा को विधिवत डिजिटाइज्ड किया जाए और मांगे जाने पर संबंधित अधिकारी के सम्मुख उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए। उक्त के अतिरिक्त लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र को डिजिटाइजेशन के पश्चात् डाटा बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप में सुरक्षित रखा जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2019/36-भा0स0(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 20.03.2019 के संदर्भ में।
2- निजी सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

No. 3381/MS/GI/2019

No.1-1/2019-FWS
Government of India
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated the 20th March, 2019

To

The State Nodal Officers of all States implementing PM-KISAN

Subject :- PM-KISAN – Maintenance of beneficiary data – reg.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to letter of even number dated 26 February, 2019, which stipulates various measures to be adopted by the State Governments for ensuring the correctness of the data collected from the beneficiaries.

2. In this connection, I am further directed to request the State Governments to ensure that the beneficiary details/data along with the necessary documents furnished by the beneficiaries be properly digitized and recorded so that the same may be produced before the authorities when called for.

3. In the case of Self-declaration of the beneficiaries, the State Governments may issue suitable instructions to ensure that same are stored electronically in data bank after due digitization.

4. The States are further advised to adhere to the instructions prescribed in the Operational Guidelines and other instructions given by the Department from time to time.

Yours faithfully,

(Sudhir Kumar)
Deputy Secretary

Copy to Chief Secretaries of the respective State Governments

(डा0 अनिल कुमार)

(डॉ० प्रभात कुमार)
कृषि उत्पादन आयुक्त
उ० प्र० शासन

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं
निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव
कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।